न्यायालय–: सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर शाहजहाँपुर।
वाद सं0–1004/2017,
उ0प्र0राज्य, बनाम, सुखप्रीत आदि,
मु0अ0सं0–258/2016
धारा–420 भा0दं0सं0
थाना–तिलहर, जिला–शाहजहाँपुर।

दि0–12.01.2021 आज यह सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र मय पत्रावली पेश हुआ। पत्रावली सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.09.2019 के निस्तारण हेतु नियत है। विद्वान अधिवक्ता को सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर पूर्व में सुना गया है।

प्रार्थी सुनील कुमार सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.09.2019 टैंकर की सुपुर्दगी हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी टैंकर संख्या U.P. 24 -3632 का पंजीकृत स्वामी है। दिनांक 09.02.2016 को डीजल लेकर बालाजी फिलिंग स्टेशन, पौटा रोड शहपुरा तहसील बीसलपुर जिला पीलीभीत जा रहा था और टैंकर को थाना तिलहर, जिला शाहजहाँपुर में खड़ा कर लिया है। प्रार्थी व उसके चालक, हेल्पर के विरुद्ध मु0अ0सं0–258/2016 धारा 41/411/413/414/420 भा0दं0सं0 व 3/7 ई0सी0एक्ट कायम कर दिया। विवेचना में 6ए ई0सी0एक्ट कार्यवाही श्रीमान जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर भेजी गयी तथा विवेचना में धारा 41/411/413/414/420 भा0दं0सं0 व 3/7 ई0सी0एक्ट का होना नहीं पाया गया तथा आरोप पत्र केवल धारा 420 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। 6ए ई0सी0एक्ट की कार्यवाही श्रीमान जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 14.0.2019 को निरस्त किया जा चुका है। प्रार्थी का उक्त टैंकर थाने में खुले में खड़ी रहने से खराब हो जायेगी। श्रीमान जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर का आदेश संलग्न है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का टैंकर मय डीजल प्रार्थी की सुपुर्दगी में अवमुक्त करने की याचना की गयी है।

थाना तिलहर द्वारा प्रेषित पूर्व आख्या दिनांकित 24.10.2019 के अनुसार दर्ज मु0अ0सं0–258/2016 धारा 41/411/413/414/420 भा0दं0सं0 बनाम सुखप्रीत आदि में रजिस्टर माल के अवलोकन से टैंकर नं0– U.P. 24 -3632, जिसमें करीब 12,000 लीटर मिट्टी का तेल, 2 ड्रम मिट्टी का तेल ड्रम खाली, एक कीप लोहा अंकित है, जो थाना परिसर में मौजूद है। टैंकर के अगली नम्बर प्लेट पर U.P. 24 W-3632 व पिछली ओर U.P. 24 -3632 अंकित है। उक्त आख्या के साथ माल रजिस्टर को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 17.07.2020 को थाना तिलहर द्वारा इस आशय की आख्या न्यायालय को प्रेषित की गयी है कि मु0अ0सं0–258/2016 से सम्बन्धित वाहन के कागजातों का सत्यापन आर0टी0ओ0 कार्यालय, शाहजहाँपुर से कराया गया है एवं सत्यापित प्रतियाँ आख्या के साथ संलग्न की गयी है।

निरुद्ध वाहन में डीजल अथवा मिट्टी का तेल भरा होने के सम्बन्ध में थाना तिलहर से स्पष्ट आख्या न्यायालय द्वारा आहुत की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में थाना तिलहर से अद्यतन आख्या दिनांकित 05.01.2021 प्रेषित की गयी है, जिसमें न्यायालय को यह अवगत कराया गया है कि थाना स्थानीय पर मौजूद रजिस्टर नं0 4 के अवलोकन व उस पर चस्पा रिपोर्ट के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 09.02.2016 को तत्कालीन प्र0नि0 श्री अरुण कुमार सिंह कोत0 तिलहर, जनपद शाहजहाँपुर ने विपक्षी विश्वनाथ पुत्र रामकिशन, नि0ग्राम सरोवर नगर, थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर आदि के विरुद्ध मु0अ0सं0–258/2016 धारा 41/411/413/414/420 भा0दं0सं0 व 3/7 ई0सी0एक्ट का अभियोग टैंकर सं0–U.P. 24 -3632 में करीब 12,000 लीटर मिट्टी का तेल उपलब्ध होने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराये थे। जिसकी विवेचना हेतु नकल चिक, नकल रपट तत्कालीन उ0नि0 श्री क्रान्तिवीर सिंह को दी गयी तथा उपरोक्त टैंकर सुरक्षार्थ थाना परिसर में रो0आम में दाखिल करके खड़ा कराया गया। एस.आई.श्री क्रान्तिवीर सिंह ने विवेचना ग्रहण कर साक्ष्य संकलन करते हुए उक्त टैंकर में मौजूदद तरल पदार्थ को नियमानुसार सील सर्वमुहर नमूना मोहर को विधि विज्ञान प्रयोगशाला महानगर लखनऊ भेजा गया। बाद परीक्षण विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने अपने पत्रांक 2016 CHEM000790 दि0–10.06.2016 को रिपोर्ट भेजी कि उक्त तरल पदार्थ के परीक्षण से डीजल तेल पाया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उक्त की सभी धाराओं का लोप करते हुए विवेचक ने धारा 420 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0–138/2017 दिनांक 11.05.2017 को प्रेषित किया गया तथा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, शाहजहाँपुर को जो टैंकर जब्त करने सम्बन्धी रिपोर्ट भेजी गयी थी। डीजल होने पर श्रीमान जिलाधिकारी शाहजहाँपुर ने जब्ती की कार्यवाही टैंकर की निरस्त अपने आदेश सं0–D2017/2610/476 दि0–13.09.2019 को कर दिया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ व आदेश श्रीमान जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर महोदय के आदेश की प्रति संलग्न की जा रही है। उक्त आख्या में नोट कर यह भी अवगत कराया गया कि साक्ष्य संकलन से टैंकर का सही नं0–U.P. 24 -3632 है, जिसमें 12,000 लीटर फर्द के अनुसार डीजल का तेल मौजूद होना अंकित है।

सहा0अभियोजन अधिकारी की आख्या दिनांकित 08.01.2021 में थाने की आख्या दिनांकित 05.01.2021 का समर्थन किया गया है और वाहन केस प्रापर्टी होने का कथन करके रिलीज किये जाने का प्रबल विरोध किया है।

प्रार्थना पत्र के संदर्भ में थाना तिलहर से प्राप्त पूर्व व अद्यतन आख्या, सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्या एवं आहुत पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

निरुद्ध वाहन टैंकर संख्या U.P. 24 -3632 के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से आर0सी0, माल यान परमिट, फिटनेस तथा बीमा पालिसी बाण्ड मूल को अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें टैंकर नं0–U.P. 24 -3632 को स्थानान्तरित होकर सुनील कुमार सिंह पुत्र विशेश्वर सिंह बतौर पंजीकृत स्वामी दर्ज होना दर्शित है। प्रार्थी द्वारा कथित टैंकर में डीजल का परिवहन किये जाने का लाइसेन्स तथा 12,000 लीटर बायो–डीजल के क्रय रसीद मूल को भी दाखिल किया गया है। विस्फोटक पदार्थ का लाइसेन्स जो कि भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) आगरा–282002 का पत्रांक संख्या P/CC/UP/11/12123(P285864) दिनांकित29.11.2013 जारी है, जिसमें कथित टैंकर लारी पंजीकरण संख्या U.P. 24 -3632 द्वारा भूमार्ग से पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन की अनुमति का नवीनीकरण किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त केस की विवेचना पूर्ण हो चुकी है, जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 420 भा0दं0सं0 में न्यायालय में दाखिल हुआ है तथा केस से सम्बन्धित अभियुक्तगण की जमानतें माननीय सत्र न्यायालय से पूर्व में भिन्न–भिन्न तिथियों में स्वीकार की गयी हैं। प्रार्थी/वाहन स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन भारसाधक अधिकारी द्वारा कराया गया है। प्रश्नगत मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन है और विचारण के स्तर पर पंजीकृत स्वामी द्वारा टैंकर सुपुर्द किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। मुकदमें के विचाराधीन रहने तक उक्त टैंकर को थाने में और अधिक समय तक निरुद्ध रखने से खुर्दबुर्द होने, कलपुर्जे खराब/नष्ट होने तथा उसमें भरे डीजल के भी क्षीण होने की सम्भावना होगी।

अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत मुकदमें के विचारण व निस्तारण होने के दौरान तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाहन को स्वामी के हक में अवमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1– प्रार्थी/स्वामी 25,00,000/रु0 (पच्चीस लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करेगा।

2– प्रार्थी/स्वामी टैंकर के सम्बन्ध में इस आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करे कि मुकदमें के निरस्तारण होने तक वाहन के भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को विक्रय करेगा एवं जब भी विवेचक अथवा न्यायालय द्वारा उसे तलब किया जायेगा, अपने खर्चे–हर्जे पर प्रस्तुत करेगा।

3– प्रार्थी/स्वामी दाखिल प्रपत्रों की 01 सेट छायाप्रतियाँ इस मुकदमें में दाखिल करे।

4– थानाध्यक्ष तिलहर, जिला शाहजहाँपुर को आदेशित किया जाता है कि मु0अ0सं0–258/2016 धारा धारा 420 भा0दं0सं0 बनाम सुखप्रीत आदि मामले में निरुद्ध टैंकर संख्या U.P. 24 -3632, यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो, उसके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द करें।

तदनुसार प्रा.पत्र निस्तारित किया जाता है।

दि0:–12.01.2021

सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0 तिलहर,
शाहजहाँपुर।
जे0ओ0कोड यू0पी0–2359